(घ) क्या समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) चिकित्सा विज्ञान की इलैक्ट्रोपैथी पद्धति को मान्यता देने के लिए गठित समिति के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये) ।

(ख) पहली अगस्त, 1989 ।

(ग) इस समिति की अब तक दो बैठक हुई हैं और इसे अपना कार्य पूरा करने में और समय लगेगा क्योंकि अनेक बुनियादी मुद्दों का हल ढूंढा जाना है ।

(घ) जी, नहीं ।

विवरण

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

1. भारत में चिकित्सा/उपचार की नई पांचवीं पद्धति के रूप में इलैक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के संबंध में किए गए दावों की वैज्ञानिक दृष्टि से तथा वैज्ञानिक विधियां इस्तेमाल करके जांच करना और इसकी वैज्ञानिकता, यदि कोई हो, पता लगाना ;

2. इसकी उत्पत्ति, समयकालीन पुनः प्रचलन, यदि कोई हो और "कॉम्पलेक्सा काम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर" की जांच करना जो इलेक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को बल देते हैं और उपचार की इस पद्धति को एक अनन्य और स्वतंत्र पद्धति के रूप में स्थापित करना ;

3. इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो-होम्योपैथी उपाचार पद्धति की प्रभावकारिता या उपयोगिता क्षमता की नैदानिक दृष्टि से जांच करना और एलोपैथी, आयुर्वेद आदि जैसी दूसरी स्थापित चिकित्सा पद्धतियों के मुकाबले इसके अपेक्षाकृत गुणों या अनन्य विशेषताओं, यदि कोई हों का पता लगाना ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करने में इसे सहायक बनाया जा सके ;

4. उपलब्ध सूचना/आंकड़ों के वैज्ञानिक और नैदानिक मूल्यांकन या दूसरी प्रकार की सामग्री से इस बात का पता लगाना कि क्या इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो-होम्योपैथी की होम्योपेथी चिकित्सा पद्धति या किसी अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति से समरूपता या सह-सम्बन्ध है और यदि हो तो, किस हद तक ;

5. इलेक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो-होम्योपैथी जिस में इसकी फार्माकोपिया भी शामिल है, से संबंधित किन्ही दूसरे पहलुओं या विषयों, यदि कोई हो, की जांच करना, यदि आवश्यक हो या समिति उचित समझे तो दूसरे देशों में इसकी मान्यता के स्तर का पता लगाना ताकि संदर्भाधीन विषय के बारे मे सही स्थिति का पता लगाया जा सके ।

प्रयोगशालाओं में हिन्दी अधिकारी। अनुवादक

733. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की किन-किन प्रयोगशालाओं में हिन्दी अधिकारियों एवं हिन्दी अनुवादकों के कितने-कितने पद हैं तथा किन-किन प्रयोगशालाओं में अभी तक ऐसे कोई पद नहीं हैं ;

(ख) मंजूर किये गये पदों में से अब तक कितने पद भरे जा चुके हैं तथा कितने खाली हैं ; और

(ग) रिक्त पदों को कब तक भर दिये जाने की संभावना है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।